रजिस्ट्री सं. डी. (डी.एन.)-72 REGISTERED No. D. (D.N.)-72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 327] नई दिल्ली, सोमवार, अगस्त 2, 1982/श्रावण 11, 1904
No. 327] NEW DELHI, MONDAY, AUGUST 2, 1982/SRAVANA 11, 1904

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

उद्योग मंत्रालय

(औद्योगिक विकास विभाग)

आदेश

नई दिल्ली, 2 अगस्त, 1982

का. आ. 551(अ)/18-कक/आई डी आर ए/82 :—भारत सरकार के उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग) के आदेश सं. का. आ. 18(अ)/18-कक/आई डी आर ए/79, तारीख 6 जनवरी, 1979 द्वारा (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त आदेश कहा गया है) आन्ध्र प्रदेश राज्य के श्रीकाकुलम जिले के सीतानगरम् में चीनी का विनिर्माण करने वाली मैसर्स श्रीराम शुगर्स एण्ड इण्डस्ट्रीज लिमिटेड के एकक का (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त औद्योगिक उपक्रम कहा गया है) प्रबन्ध उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 (1951 का 65) की धारा 18-कक की उप-धारा (1) के खण्ड (ख) के अधीन 5 जनवरी, 1982 तक जिसमें यह तारीख भी सम्मिलित है, तीन वर्ष की अवधि के लिए ग्रहण किया गया था और निजाम शुगर फैक्ट्री लिमिटेड को उक्त औद्योगिक उपक्रम का प्रबन्ध ग्रहण करने के लिए प्राधिकृत किया गया था ;

और भारत सरकार के उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग) के आदेश सं. का. आ. 7(अ)/18-कक/आई. डी. आर. ए./82, तारीख 5 जनवरी, 1982 द्वारा उक्त आदेश 3 अगस्त, 1982 तक की अवधि के लिए जिसमें यह तारीख भी सम्मिलित है जारी बना रहा था ;

और केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि लोकहित में यह समीचीन है कि उक्त औद्योगिक उपक्रम, निजाम शुगर फैक्ट्री लिमिटेड के प्रबन्ध के अधीन 3 फरवरी, 1983 तक की और अवधि के लिए जिसमें यह तारीख भी सम्मिलित है, बना रहे ;

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 (1951 का 65) की धारा 18-कक की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह निदेश देती है कि उक्त आदेश 3 फरवरी, 1983 तक की और अवधि के लिए जिसमें वह तारीख भी सम्मिलित है, प्रभावी बना रहेगा ।

[फा. सं. 4(11)/78-सी. यू. एस.]

पूर्व निर्देश :—

का. आ. 18(अ)/18-कक/आई डी आर ए/79, तारीख 6-1-1979 ।

का. आ. 7 (अ)/18-कक/आई डी आर ए/82 तारीख 5-1-1982 ।

MINISTRY OF INDUSTRY
(Department of Industrial Development)

ORDERS

New Delhi, the 2nd August, 1982

No. S.O. 551(E)/18AA/IDRA/82.—Whereas by the Order of the Government of India in the Ministry of Industry (Department of Industrial Development) No. S.O. 18(E)/18AA/IDRA/79, dated the 6th January, 1979 (hereinafter referred to as the said Order), the management of the unit of Messrs Sri Rama Sugars and Industries Limited manufacturing sugar at Seethanagaram in District Srikakulam in the State of Andhra Pradesh (hereinafter referred to as the said industrial undertaking) was taken over under clause (b) of sub-section (1) of section 18AA of the Industries (Development and Regulation) Act, 1951 (65 of 1951), for a period of 3 years upto and inclusive of 5th January, 1982, and the Nizam Sugar Factory Limited was authorised to take over the management of the said Industrial Undertaking ;

And whereas by the Order of the Government of India in the Ministry of Industry (Department of Industrial Development), No. S.O. 7(E)/18AA/IDRA/82, dated the 5th January, 1982, the said Order was continued for a period upto and inclusive of 3rd August, 1982 ;

And whereas the Central Government is of opinion that it is expedient in the public interest that the said Industrial Undertaking should continue under the management of the Nizam Sugar Factory Limited for a further period of six months upto and inclusive of the 3rd February, 1983 ;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 18AA of the Industrial (Development and Regulation) Act, 1951 (65 of 1951), the Central Government hereby directs that the said Order shall continue to have effect for a further period of six months upto and inclusive of the 3rd February, 1983.

[F. No. 4(11)/78-CUS]

Previous references :

S.O. 18(E)/18AA/IDRA/79 dated 6-1-1979.

S.O. 7(E)/18AA/IDRA/82 dated 5-1-1982.

का. आ. 552(अ)/18-चख/आई डी आर ए/82 :—केन्द्रीय सरकार ने भारत सरकार के उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग) के आदेश सं. का. आ. 902 (अ)/18-चख/आई. डी. आर. ए./90 तारीख 21 नवम्बर, 1980 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त आदेश कहा गया है) द्वारा उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 (1951 का 65) की धारा 18-चख की उप-धारा (1) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह घोषणा की थी कि उक्त आदेश के जारी होने की तारीख से ठीक पूर्व प्रवृत्त ऐसी सभी संविदाओं, सम्पत्ति के हस्तान्तरण-पत्रों, करारों, व्यवस्थापनों, पंचाटों, स्थायी आदेशों या अन्य लिखतों का (उनसे भिन्न जो 6 जनवरी, 1979 के पश्चात् किए गए हैं, हुए हैं या प्रवृत्त होते हैं) जिनका आन्ध्र प्रदेश राज्य में श्रीकाकुलम जिला के सीप्यानगरम् में चीनी का विनिर्माण कर रहा मैसर्स श्रीराम शुगर मिल्स लिमिटेड का एकक या उक्त एकक का स्वामित्व रखने वाली कम्पनी, एक पक्षकार है या जो उक्त एकक या कम्पनी को लागू हो, प्रवर्तन एक वर्ष की अवधि के लिए निलम्बित रहेगा और उक्त आदेश के जारी किए जाने की तारीख से पूर्व उसके अधीन प्रोद्भूत या उद्भूत होने वाले सभी अधिकार, विशेषाधिकार, बाध्यताएं और दायित्व उक्त अवधि के लिए निलम्बित रहेंगे ।

और उक्त आदेश की अवधि, भारत सरकार के उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग) के क्रमशः आदेश सं. का. आ. 820(अ), तारीख 20 नवम्बर, 1981 और का आ. 8(अ) तारीख 5 जनवरी, 1982 द्वारा 3 अगस्त, 1982 तक की और अवधि के लिए जिसमें यह तारीख भी सम्मिलित है, बढ़ा दी गई थी ;

और केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो गया है कि उक्त आदेश की अवधि सभी मामलों की बाबत (उनसे भिन्न जो बैंकों और वित्तीय संस्थाओं के प्रति प्रतिभूत दायित्वों से संबंधित हैं) 3 फरवरी, 1982 तक, जिसमें यह तारीख भी सम्मिलित है, और बढ़ा दी जानी चाहिए ;

अतः, केन्द्रीय सरकार, उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 (1951 का 65) की धारा 18-चख की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त आदेश की अवधि सभी मामलों की बाबत (उनसे भिन्न जो बैंकों और वित्तीय संस्थाओं के प्रति प्रतिभूत दायित्वों से संबंधित हैं) 3 फरवरी, 1983 तक, जिसमें यह तारीख भी सम्मिलित है, और बढ़ाती है ।

[फा. सं. 4(11)/78-सी. यू. एस.]

राज कुमार भार्गव, संयुक्त सचिव

पूर्व निर्देश :—

का. आ. 902 (अ)/18-चख/आई डी आर ए/80 तारीख 21-11-1980 ।

का. आ. 959(अ)/तारीख 10-12-1980 ।

का. आ. 820(अ)/18-चख/आई डी आर ए/81, तारीख 20-11-1981 ।

का. आ. 8(अ)/18-चख/आई डी आर ए/81, तारीख 5-1-1982 ।

S.O. 552(E)/18FB/IDRA/82.—Whereas by the Order of the Government of India in the Ministry of Industry (Department of Industrial Development), No. S.O. 902(E)/18FB/IDRA/80, dated the 21st November, 1980 (hereinafter referred to as the said order), the Central Government in the powers conferred by clause (b) of sub-section (1) of the section 18FB of the Industries (Development and Regulation) Act, 1951 (65 of 1951), declared that the operation of all contracts, assurances of property, agreements, settlements, awards standing orders or other instruments in force immediately before the date of issue of the said order (other than those which have been entered into arrived at or come into force after the 6th January 1979) to which the unit of Messrs Sri Rama Sugars and Industries Limited manufacturing sugar at Seethanagaram in the District of Srikakulam in the State of Andhra Pradesh or the company owning the said unit is a party or which may be applicable to the said unit or company shall remain suspended for a period of one year and all rights, previleges, obligations and liabilities accruing or arising thereunder before the date of issue of the said order shall remain suspended for the said period ;

And whereas the duration of the said Order was extended for a further period upto and inclusive of 3rd August, 1982 by the orders of the Government of India in the Ministry of Industry (Department of Industrial Development), Nos. S.O. 820 (E), dated the 20th November, 1981 and S.O. 8 (E), dated the 5th January, 1982 respectively ;

And whereas, the Central Government is satisfied that the duration of the said Order should be extended for a further period upto and inclusive of 3rd February, 1983, in respect of all matters (except those relating to secured liabilities to banks and financial institutions);

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 18FB of the Industries (Development and Regulation) Act, 1951 (65 of 1951), the Central

Government hereby extends the duration of the said order for a further period upto and inclusive of 3rd February, 1983, in respect of all matters (except those relating to secured liabilities to banks and financial institutions).

[F-No. 4 (11)/78—CUS]

R. K. BHARGAVA, Jt. Secy.

Previous references :—

S.O. 902 (E)/18FB/IDRA/80 dated 21-11-80

S.O. 959 (E)/dated 10-12-80

S.O. 820 (E)/18FB/IDRA/81 dated 20-11-81

S.O. 8 (E)/18FB/IDRA/81 dated 5-1-82.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054. 1982